सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 322 राँची ,सोमवार 19 फाल्गुन 1935 (श०)

10 मार्च, 2014 (ई०)

नगर विकास विभाग ।

अधिसूचना

4 मार्च, 2014

संख्या-1/स्था0/मु0स्था0/न0 वि0/131/2011--984--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्तें) नियमावली, 2014 अधिसूचित करते हैं ।

2. यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

झारखण्ड नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्तें) नियमावली, 2014

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में गठित सभी नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों को अवक्रमित कर झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के नगर विकास विभाग के अधीन नगर निवेशन सेवा (शहरी स्थानीय निकायों में नगर निवेशन के राजपत्रित पदों सहित) में भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(i) यह नियमावली झारखण्ड नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्तें) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इन नियमों में-

(i) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का नगर विकास विभाग;

(iii) 'सेवा' से अभिप्रेत है झारखण्ड नगर निवेशन सेवा;

(iv) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, नगर विकास विभाग, झारखण्ड;

(v) 'शहरी स्थानीय निकाय' से अभिप्रेत है झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकाय;

(vi) 'उपाधि' से अभिप्रेत है वैधानिक विश्वविद्यालय की उपाधि;

(vii) 'स्नात्तकोत्तर उपाधि' से अभिप्रेत है वैधानिक विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि;

(viii) 'अनुभव' से अभिप्रेत है संबंधित कार्यक्षेत्र(नगर निवेशन) का वास्तविक अनुभव;

(ix) 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग;

(x) 'सीधी नियुक्ति' से अभिप्रेत है नियमावली में प्रावधानित नियमों के अनुसार नियुक्ति;

(xi) 'सदस्य' या 'सेवा के सदस्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड नगर निवेशन सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

(xii) 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से अभिप्रेत है राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान;

(xiii) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक विश्वविद्यालय;

3. सेवा संरचना:

3.1 यह सेवा नगर विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का विवरण अध्याय-5 की कंडिका-13 में दिया गया है।

3.2 राज्य सरकार समय-समय पर इस सेवा की विभिन्न कोटियों के बल, पदनाम एवं वेतनमान का निर्धारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के उपरान्त कर सकेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सेवा में स्थायी पदों के सृजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी।

3.3 सभी शहरी स्थानीय निकायों के नगर निवेशन से संबंधित राजपत्रित पद नगर निवेशन संगठन, नगर विकास विभाग के भाग होंगे और कर्मियों की सेवा विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को समय-समय पर सौंपी जायेगी।

3.4 उत्तरदायित्व: यह सेवा नगर विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगी ।

3.5 स्थिति: झारखण्ड नगर निवेशन सेवा के सदस्य राजपत्रित श्रेणी के होंगे ।

अध्याय-2

भर्ती/नियुक्ति

4. भर्ती के स्त्रोत:

4.1 इस सेवा के सहायक नगर निवेशक की मूल कोटि के पदों की शत-प्रतिशत रिक्तियाँ सीधी भर्ती से भरी जाएंगी । ऐसी भर्ती आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर की जाएंगी ।

4.2 सहायक नगर निवेशक की मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता:-

पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता			
		स्नातक	स्नात्तकोतर	सम्बद्धता
सहायक नगर निवेशक	A	(i) वास्तुकला (ii) बी0 प्लानिंग (iii) असैनिक अभियंत्रण	निम्नांकित में से किसी एक विषय में विशिष्टिकरण के साथ मास्टर ऑफ प्लानिंगः- (i) अर्बन प्लानिंग (ii) ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग (iii) हाउसिंग (iv) पर्यावरण प्लानिंग (v) क्षेत्रीय प्लानिंग	इन्स्टिट्यूट आफ टाउन प्लानर्स (इंडिया), नई दिल्ली से साहचर्य सदस्यता प्राप्त

5. रिक्तियों का निर्धारण:

प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक की रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या विभाग द्वारा निर्धारित करते हुए नियुक्ति हेतु अधियाचना अगले वर्ष की 31 जनवरी तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दी जाएगी ।

6. आरक्षण:

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तथा उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु झारखण्ड सरकार के आरक्षण नियम/नियमावली तथा उसके तहत निर्गत संकल्पों/निदेशों एवं रोस्टर का अनिवार्यतः पालन किया जाएगा ।

अध्याय-3

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

7. सीधी भर्ती हेतु आहर्ता:

7.1 आयु सीमा - उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय ।

7.2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

सहायक नगर निवेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कंडिका-4.2 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित किया जाना अनिवार्य होगा ।

8. आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अनुशंसा:

8.1 विभाग द्वारा अधियाचित मूल कोटि की रिक्तियों के आधार पर आयोग के द्वारा विज्ञापन निकालकर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे ।

8.2 रिक्त पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के आलोक में अन्तर्वीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्तांको की गणना निम्नवत् की जाएगी:-

(i) स्नातक उपाधि के प्राप्तांक का 30 प्रतिशत

(ii) नगर निवेशन में स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत

(iii) अन्तर्वीक्षा के प्राप्तांक का 20 प्रतिशत

उपर्युक्त गणना के उपरांत कुल प्राप्तांको के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी । उक्त गणना के जरिये मेधा सूची में प्रविष्टि के लिए न्यूनतम कट-ऑफ माक्र्स का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0-13026 दिनांक-27 नवम्बर, 2012 द्वारा किया जायेगा । रिक्ति के विरूद्ध 10 गुणा से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति से परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

8.3 उपर्युक्त कंडिका-8.2 के प्रावधानों के आलोक में आयोजित अन्तर्वीक्षा के फलस्वरूप कुल प्राप्तांको के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा ।

8.4 उपर्युक्त कंडिका-8.3 के क्रम में मेधा सूची तैयार करने के दौरान यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान हो तो स्नातक उपाधि के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेधा क्रम तैयार किया जायेगा ।

इसके उपरांत भी यदि प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी पारस्परिक रूप से मेधा क्रम में उपर होंगे ।

8.5 आयोग की अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की जाएगी ।

8.6 आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी नियुक्ति के समय स्वास्थ्य जाँच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके अधीन गठित चिकित्सीय बोर्ड द्वारा दिया गया हो ।

8.7 नियुक्ति के समय आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा ।

8.8 विभाग की अधियाचना के अनुरूप झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद यदि कोई उम्मीदवार योगदान नहीं देता है तो उक्त रिक्ति अगले वर्ष हेतु अग्रणित की जायेगी ।

8.9 आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची विभागान्तर्गत सूची प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी ।

अध्याय-4

प्रोन्नति

9. प्रोन्नति द्वारा भर्ती नियम-4 के अनुसार कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0-5161 दिनांक- 25 सितम्बर, 2008 के द्वारा अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

नगर निवेशन सेवा में प्रोन्नति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पद सोपान पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी ।

10. वरीयता का निर्धारण:

10.1 मेधासूची आयोग द्वारा अनुशंसित सीधे नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता में निर्धारित मेधाक्रम के अनुसार होगी ।

10.2 प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों की वरीयता उनकी पूर्व की पारस्परिक वरीयता के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

11. परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/संपुष्टि:

11.1 नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि होगी। परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से अपेक्षित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और अपेक्षित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही सेवा संपुष्टि की जाएगी।

11.2 विभागीय परीक्षा रूल्स फॉर डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स, 1961 के अनुसार केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा ली जाएगी, जिस क्रम में हिन्दी/लेखा एवं विकास से संबंधित विषय भी सम्मिलित होंगे ।

11.3 प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम नगर विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11.4 नियुक्त पदाधिकारी की सेवा अवधि में ही पदस्थापन स्थान के कोषागार से चार सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

प्रशिक्षण हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे ।

12. प्रोन्नति की प्रक्रिया:

12.1 झारखण्ड नगर निवेशन सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को उच्चतर पद सोपान में प्रोन्नति दी जाएगी, जिसके विचार क्षेत्र में आने के प्रयोजनार्थ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-398 दिनांक-16 जनवरी, 2012 एवं संकल्प सं०-5606 दिनांक-25 जून, 2013 द्वारा कालावधि का निर्धारण होगा ।

12.2 स्वच्छता प्रमाण पत्र के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

12.3 विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी । विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन अलग से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में नगर विकास विभाग द्वारा किया जाएगा ।

12.4 प्रोन्नति का आधार वरीयता, योग्यता एवं संतोषप्रद सेवा होगा।

12.5 उच्चतर पदों में पूर्व से प्रोन्नत कर्मी नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से संबंधित कोटि में प्रोन्नत माने जायेंगे ।

अध्याय-5

विविध

13. प्रोन्नति का पद सोपान:

नियम-4 के अन्तर्गत सेवा में प्रोन्नति के पद सोपान निम्नवत् होंगे:-

क्र0 सं0	पद स्तर	पदनाम	पे बैंड	ग्रेड पे
1	मूल कोटि, वर्ग-II	सहायक नगर निवेशक	9,300-34,800 (PB-II)	Rs.-5400/-
2	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	कार्यपालक नगर निवेशक	15,600-39,100 (PB-III)	Rs.-6600/-
3	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	साहचर्य नगर निवेशक	15,600-39,100 (PB-III)	Rs.-7600/-
4	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	नगर निवेशक	37,400-67,000 (PB-IV)	Rs.-8700/-
5	प्रोन्नति का चर्तुथ स्तर	मुख्य नगर निवेशक	37,400-67,000 (PB-IV)	Rs.-8900/-

14. पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति:

इस सेवा के सदस्यों को राज्य सरकार स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर सकेगी ।

15. वेतनः

विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

16. प्रशिक्षणः

इस सेवा के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।

17. इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्तें, यथा छुट्टी, देय सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली में उल्लिखित नहीं हैं, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्गत अनुदेशों/नियमावली/परिपत्रों के प्रावधानों से शासित होंगे।

18. राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में लागू अनुशासनिक नियमावली इस सेवा के सदस्यों के लिए भी लागू होगी।

19. निरसन तथा व्यावृत्तिः

19.1 इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से सभी प्रासंगिक पूर्व के नियम/आदेश/निर्णय निरसित समझे जायेंगे।

19.2 इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व सेवा के संबंध में लिए गए निर्णयों के संबंध में माना जायेगा कि सभी निर्णय इस नियमावली के अधीन लिए गए हैं।

19.3 राज्य सरकार प्रशासी विभाग के माध्यम से इस नियमावली के किसी उपबन्ध को संशोधित करने की शक्ति रखती है तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निर्देश/परिपत्र निर्गत कर सकेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

Urban Development Department

Notification

The 4th March, 2014

Jharkhand Town Planning Service Recruitment, Promotion and other Conditions) Rules, 2014

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders and circulars made in this behalf, the Governor of Jharkhand is pleased to make the following rules, regulating recruitment and conditions of service of persons appointed on gazetted posts in the Town Planning Service (including gazetted posts of Town Planning in ULBs) in the Department of Urban Development.

Chapter-1

Preliminary

1. Short Title, Extent and Commencement:

(i) These Rules may be called the Jharkhand Town Planning Service (Recruitment, Promotion and other Conditions) Rules, 2014

(ii) They shall be applicable in the whole Jharkhand State.

(iii) They shall come into force from the date of notification by the State Government.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires, -

(i) "State" means Jharkhand State;

(ii) "Department" means Urban Development Department of the State Government;

(iii) "Service" means Jharkhand Town Planning Service;

(iv) "Appointing Authority" means the Urban Development Department, Jharkhand;

(v) "ULB" means Urban Local Bodies in Jharkhand;

(vi) "Degree" means a degree of a Statutory University;

(vii) "Master's Degree" means a Masters Degree of a Statutory University;

(viii) "Experience" means actual work experience in the field (Town Planning);

(ix) "Commission" means Jharkhand Public Service Commission;

(x) "Direct Recruitment" means recruitment in the manner as prescribed in the Rules;

(xi) "Member" or 'Member of Service" means a person appointed to a post in the cadre of the Town Planning Service;

(xii) "Recognized Institution" means an Institution recognized by the State/Central Government;

(xiii) "University" means Statutory University recognized by University Grants Commission;

3. Cadre Setup :

3.1 This service shall be under the administrative control of the Department of Urban Development. The strength of the service and of each category of posts therein has been given in clause-13 of Chapter-5.

3.2 The strength, designation and scale of service shall be determined by the State Government by notification in the Gazette from time to time. The Government may create or surrender such additional permanent posts from time to time as it may consider proper.

3.3 All gazetted posts of Urban Local Bodies (ULBs) relating to Town Planning shall be part of the Town Planning Origination (TCPO), Urban Development Department (UDD) and services of the personnel shall be placed in the Urban Local Bodies (ULBs) by the Urban Development Department from time to time.

3.4 Accountability - The service shall be under the administrative control of Urban Development Department.

3.5 Status - The members of the Jharkhand Town Planning Service shall be of gazetted category.

Chapter-2

Recruitment/Appointment

4. Source of Recruitment:

4.1 Cent percent posts of Assistant Town Planner belonging to the basic grade shall be filled by direct recruitment. Such appointment shall be made on the recommendations of the Commission.

4.2 **Educational qualification for appointment to the basic grade of Assistant Town Planner**:-

Name of Post	**Minimum Educational Qualification**			
		Graduation	**Master's Degree**	**Association**
Assistant Town Planner	A	(i) Architecture (ii) B. Planning (iii) Civil Engineering	Master of Planning with specialization on any of the following :- (i) Urban Planning (ii) Transport Planning (iii) Housing (iv) Environmental Planning (v) Regional Planning	Associate Membership of Institute of Town Planners (India), New Delhi.

5. Determination of Vacancies:

The department shall determine the number of vacancies and number of reserved posts for Schedule Caste/Tribe and Other Backward Class, every year by 31st December and shall send requisition to the Commission by 31st January of next year.

6. Reservation:

Reservation rules/regulations and resolutions/directions and roster issued by the State Govt. shall be followed mandatorily for direct requirement and promotion to higher posts.

Chapter-3

Appointment through Direct Recruitment

7. Eligibility for Direct Recruitment:

7.1 Age Limit: A candidate must have attained the minimum age of 21 years and the maximum age shall be as per decision by the State Government from time to time.

7.2 Minimum Educational Qualification:

For appointment to the vacant posts of Assistant Town Planner, holding of minimum educational qualification described in clause-4.2 will be essential.

8. Recommendation of Candidate by the Commission:

8.1 On the basis of basic grade vacancies requisitioned by the department, the Commission shall receive applications from eligible candidates by publishing advertisement.

8.2 On the basis of applications received against vacant posts, Commission shall conduct interview of the candidates as per their educational qualifications and the calculation of marks obtained shall be done as following:-

(i) 30% of marks obtained at Graduation level.

(ii) 50% of marks obtained at Master's Degree in Town Planning.

(iii) 20% of marks obtained in interview.

Merit list shall be prepared on the basis of above calculations. For entry in the merit list, minimum cut-off marks shall be determined on the basis of Resolution No.-13026 dated-27th November, 2012 of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa Department. if the number of applications exceeds more than 10 times the number of vacancy, examination shall be conducted with consent of Jharkhand Public Service Commission.

8.3 As per provision in the above clause-8.2, Commission shall prepare a merit list on the basis of total marks obtained in the interview and shall recommend for appointment.

8.4 While preparing merit list as per clause-8.3 above, if two or more than two candidates obtain the same marks, then merit list shall be prepared on the basis of marks percentage obtained at Graduation level.

Even then, if the marks obtained are the same, then candidate of higher age shall be placed higher in the merit list.

8.5 Candidates shall be appointed by the competent authority as per recommendation of the Commission.

8.6 Candidates recommended by the Commission will have to submit health certificate issued by Civil Surgeon-cum-Chief Medical officer or Medical Board constituted under him at the time of appointment

8.7 Candidates of reserved categories will have to submit Caste Certificate issued by competent authority at the time of appointment.

8.8 a candidate does not submit his/her joining after recommendation of Jharkhand Public Service Commission as per requisition of department, then, that vacancy shall pass over to next year.

8.9 Merit list recommended by Commission shall be valid for one year from the date of its receipt in the department.

Chapter-4

Promotion

9. Appointment by promotion under rule-4 shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted vide Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa Department resolution no.-5161 dated-25 September, 2008 under the Chairmanship of the Chairperson, Jharkhand Public Service Commission.

Recommendation of Departmental Promotion Committee shall be mandatory for promotion to first, second, third and fourth posts in the hierarchy of Town Planning Service.

10. Fixation of Seniority:

10.1 Seniority-inter se of the officers directly appointed and recommended by Commission shall be the same as determined by the merit list.

10.2 Seniority of promoted officers shall be determined as per their earlier reciprocal seniority.

11. Probation period/Departmental Examination/Confirmation:

11.1 The probation period shall be of two years after the date of appointment. A probationer shall be confirmed in appointment at the end of the period of probation, if he/she successfully undergoes the prescribed training at the Administrative Training Institute and passes the prescribed departmental examination as required

11.2 Departmental exam shall be conducted by Central Examination Committee (Board of Revenue) as per Rules for Departmental Examination of Gazetted officers, 1961 which will include the subjects of Hindi/Accounts and Development.

11.3 The curriculum for the training shall be determined by the Urban Development Department, Jharkhand.

11.4 It shall be mandatory for the appointed officer to undergo four weeks treasury training in the concerned treasury at his/her place of posting.

Concerned Deputy Commissioner of the District shall make arrangements for the training.

12. Procedure of Promotion:

12.1 Directly appointed officers of the Jharkhand Town Planning Service shall be promoted to higher post in the hierarchy, for which stipulated time period shall be determined as defined in Resolution no- 398 dated- 16th January, 2012 and no.-5606 dated-25th June, 2013 of the Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa Department.

12.2 For Character Certificate, directions issued by the Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa Department from time to time shall be valid.

12.3 The promotion shall be given on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted in the light of resolutions/orders issued by Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa Department from time to time.

12.4 Basis of promotion shall be merit, seniority and satisfactory service's

12.5 Personnel promoted earlier to higher posts, shall be considered promoted to that category from the date of these Rules coming into force.

Chapter-5

Miscellaneous

13. Hierarchy of Promotion:

The hierarchy of promotion in the service as per rule-4 shall be following :-

Sl. No.	Post Level	Name of Post	Pay Band	Grade Pay
1	Basic Grade, Class-II	Asstt. Town Planner	9,300-34,800 (PB-II)	Rs. 5400/-
2	First level of promotion	Executive Town Planner	15,600-39,100 (PB-III)	Rs. 6600/-
3	Second level of promotion	Associate Town Planner	37,400-67,000 (PB-III)	Rs. 7600/-
4	Third level of promotion	Town Planner	37,400-67,000 (PB-IV)	Rs. 8700/-
5	Fourth level of promotion	Chief Town Planner	37,400-67,0 (PB-IV)	Rs.-8900/-

14. Posting/Deputation:

The members of this service may be posted/deputed by the State Govt. against sanctioned posts.

15. Pay:

The scales of pay admissible to various categories of posts, shall be such as determined by the State Government from time to time.

16. Training:

The members of the service may be sent on training for specified period in or outside the State by the Government.

17. With regard to the matters not specifically covered by these rules e.g. leave, admissible retirement benefits etc., this service shall be governed by the provisions of rules/regulations/circulars issued in this regard by the Government.

18. The rules regarding disciplinary proceedings as prescribed for other employees of the State Government shall be applicable to the members of this service also

19. Repeal and Saving:

19.1 All the concerned rules/orders/decisions shall stand repealed from the date of these rules coming into effect.

19.2 The decisions taken prior to coming into force of these rules, in connection with the service, shall be treated as taken under these rules.

19.3 The State Government is empowered to amend any provision under these rules through the Administrative Department and may issue any direction/circular for clarification of any doubt and such decision shall be final.

By the of the Governor of Jharkhand,

Ajoy Kumar Singh,

Secretary to Government.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 322–50 ।